International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

उच्च माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक एकीकरण के दृष्टिकोण का अध्ययन

MAHALAKSHMI KUMARI
RESEARCH SCHOLAR DEPARTMENT OF EDUCATION, SAI NATH UNIVERSITY RANCHI, JHARKHAND

DR. B.K CHOARASIA
ASST.PROF. DEPARTMENT OF EDUCATION, SAI NATH UNIVERSITY RANCHI, JHARKHAND

सारांश

प्रत्येक बालक महत्वपूर्ण है। वह अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, अध्यापक की भूमिका सहयोगकर्त्ता है, बिना भेदभाव के सभी बालकों को शिक्षा देना आदि महत्त्वपूर्ण है। आकलन मूल्यांकन का स्वरूप भी ऐसा हो, जिससे प्रत्येक बालक को सहज व समान विकास के अवसर मिले, बालक को किसी प्रकार की ठेस न पहुँचे आदि।

उच्च माध्यमिक पर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन का आधार उच्च माध्यमिक के लिए निर्धारित पाठ्यचर्या के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यचर्या के अनुसार ही बच्चों में अपेक्षित कौशल, योग्यता, क्षमता का विकास की प्रक्रिया के साथ–साथ इनका सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन करना है।

सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने–सिखाने, ज्ञान की संरचना करने, अवधारणाओं तथा विधियों की समझ बनाने व अपने तरीके से उपयोग करके अपने अधिगम–अनुभव को प्रभावी व स्थायी बनाना है।

तमाम तथ्यों के मद्देनजर हमें आकलन, मूल्यांकन का क्षेत्र व प्रकार सुनिश्चित करना होगा क्योंकि बालक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है।

मुख्यशब्द– उच्च माध्यमिक के विद्यालय, शिक्षक, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, बालक शिक्षा

प्रस्तावना

शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और इसी के आधार पर वह जीवन की चुनौतियों से जूझने में समर्थ होता है। भारत में विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली काम करती है और इसमें लगभग 20 करोड़ से ज्यादा स्कूली बच्चे जुड़े हुए हैं। इस बीच करोड़ स्कूली बच्चों की उम्र 6 से 14 साल के बीच और इस बच्चों की संख्या के 10 प्रतिशत को नियमित हासिल नहीं हो पाती। भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। 83वें संविधान संशोधन के अनुसार यही भावना विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अधिनियमों जैसे मानवाधिकार की वैश्विक उद्घोषणा 1948 और अन्तर्भूत, बाधा—मुक्त और अधिकार आधारित समाज के लिए स्थापित बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन में भी दुहराई गई है।

शिक्षा पर बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारी राष्ट्रीय अवधारणा में शिक्षा अनिवार्य रूप से सबके लिए है, शिक्षा की संस्कारित भूमिका है। यह संवेदनशीलता और अवधारणाओं को परिष्कृत करती है, जिसमें राष्ट्रीय सम्भाव बनाने, वैज्ञानिक अभिरूचियाँ विकसित करने और मन, आत्मा की मुक्ति में बड़ी भूमिका है। देश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने निःशक्तजनों के लिए भी एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है। नीति से स्पष्ट होता है कि निशक्त लोग भी हमारे मूल्यवान मनव संसाधन है और इनके लिए भी ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि उन्हें समान अवसर उपलब्ध हो, अधिकारों की रक्षा हो और समाज में समुदाय में उनकी सम्पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इस नीति में स्वाभाविक रूप से निःशक्त बच्चे भी शामिल है।

समावेशी शिक्षा के प्राथमिक लक्ष्य, बच्चों को समुचित एवं समृ(माहौल मिले, बच्चों में क्षमताएँ विकसित करने में मदद दी जाए, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके एवं पाठ्यक्रम में प्रभावी शैक्षिक सेवाओं, सहायक उपकरणों, उम्र के अनुकूल कक्षाएँ, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रावधान शामिल किये जाये, साथ ही साथ समावेशी शिक्षा में कुछ चुनौतियाँ जैसे मनोवृत्ति की बाधाएँ, प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी असंवेदनशीलता और जागरूकता का अभाव,

IJARST
International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

तकनीकी रूप से उन्नत संसाधनों का अभाव निगरानी का अभाव आदि।

इस दिशा में सरकार ही प्राथमिक कर्त्ता है, फिर भी कई गैर सरकारी संगठन जैसे दिल्ली और ग्वालियर में अमर ज्योति विद्यालय समावेशी शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। संक्षेप में आगे का रास्ता नीति नियंताओं और प्रमुख एजेन्सियों के लिए समूह में काम के लिए बहुविध तरीके अपनाने समावेशीकरण सुनिश्चित करने, विद्यालयों में दाखिला बढ़ाने, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कानून की मजबूती, भरपूर संसाधनों की उपलब्धता, इन सभी को क्रियान्वित करते हुए ही समावेशी शिक्षा को सफल बनाया जा सकता है।

लियो एफ बुस्काग्लिया ने लिखा है – ''हम कई बार स्पर्श की शक्ति, एक मुस्कान, एक सुन्दर शब्द सुनने वालेकान, एक ईमानदार शुभेच्छा अथवा देखभाल की छोटी कोशिशों का कम आंकलन करते हैं, जबकि इन सबमें जीवन को बदलने की क्षमताएँ हैं।''

''सर्वाधिक लोगों की सर्वाधिक भलाई'' के उपयोगितावादी सि(ान्त को नकारते हुए गाँधी जी ने इस बात पर बल दिया कि समाज की वास्तविक खुशी तभी हासिल की जा सकती है, जब कतार में आखिरी व्यक्ति का भी कल्याण हो सके। व्यक्ति का सही अर्थों में कल्याण तभी सम्भव है, जब समाज का भी कल्याण हो। समावेशी का यह विचार ही गांधीवादी स्वराज की अवधारणा का नैतिक आधार एवं केन्द्र बिन्दु है।

सतत् और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएँ :–

1. सतत् और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन प(ति को इंगित करता है जिसमें विद्यार्थियों के समस्त पक्ष सम्मिलित होते हैं।

2. सतत् और व्यापक मूल्यांकन निरन्तर और आवर्तिता मूल्यांकन का ध्यान रखता है।

3. निरन्तर का अर्थ है अध्यापन से पूर्व आकलन और अध्यापक की अवधि में मूल्यांकन।

4. सतत् और व्यापक मूल्यांकन का व्यापक भाग बालक के व्यक्तित्व के चतुर्मुखी विकास का ध्यान रखना है। इसमें शैक्षिक और

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
IJARST
ISSN: 2457-0362

सहचार्यचारी पक्षों का विकास सम्मिति होता है।

5. शैक्षिक पक्ष में पाठ्य क्षेत्र या विषय विशेष के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, जबकि सह–पाठ्यचारी पक्ष में सह–पाठ्य और व्यक्तित्व विशेषताएँ, रूचियाँ, मनोवृत्तियाँ व मूल्य सम्मिलित होते हैं।

6. शैक्षिक क्षेत्र में आकलन अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार से मूल्यांकन की बहुविधि तकनीक का प्रयोग कर निरन्तर और आवर्तिता रूप में किया जाता है। नैदानिक मूल्यांकन यूनिट में अन्त में किया जाता है। खराब निष्पादन का कारण कुछ यूनिटों में नैदानिक परीक्षणों के प्रयोग द्वारा किया जाता है।

7. आवर्तिता के प्रत्यय को)णात्मक अर्थों में नहीं लेना चाहिए अर्थात् अधिक से अधिक परीक्षण देना। यह किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए भार नहीं होना चाहिए।

बालक के मानसिक और व्यक्तिगत विकास :–

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा बालक के मानसिक विकास के साथ–साथ व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने तथा उसके विकास दृष्टिकोण को अपनाने के लिए है क्योंकि बालक समाजवेशी शिक्षा का केन्द्र होता है। कुल मिलाकर इस शिक्षा का सबसे अधि ाक महत्व इस बात से है कि यह बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। यह

बालक के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट

शिक्षा में मानसिक विकास सबसे जटिल कार्य है। दिव्यांग बच्चा अपने आपको अन्य

बच्चों के सामाने अत्यन्त तुच्छ समझने लगता है और समाज विद्यालयी बच्चों और

कुछ शिक्षकों द्वारा भी ऐसे दिव्यांग बच्चों के साथ प्राथमिकता से व्यवहार किया

जाता है किन्तु समावेशी शिक्षा में इसी पृथ्कता को दूर करने के उद्देश्य से

सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा को पाने का अवसर मिलता है। समावेशी शिक्षा

प्रणाली के द्वारा बच्चों में आपसी प्रेमभाव की भावना भी जागृत होती है जिसके

कारण उनका मानसिक विकास सुगमता से हो जाता है।

सामाजिक एकीकरण :–

समावेशी शिक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अपंग बालक जब सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करता है तो एकीकरण के कारण उनमें सामाजिक गुणों का विकास अन्य बालकों के साथ होता है। अतः सामाजिक एकीकरणता के कारण समावेशी शिक्षा का विशेष महत्व है।

अपव्यय से बचाव :–

निःसन्देह विशिष्ट शिक्षा अधिक खर्चीली होती है क्योंकि इसके लिए विशिष्ट अध्यापक एवं शिक्षाविद्ों के लिए प्रशिक्षण होते हैं, जिनमें पैसे के साथ–साथ समय भी अधिक लगता है परन्तु दूसरे दृष्टिकोण से यह समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है तथा लाभदायक है क्योंकि इस शिक्षा के लिए और संस्था को बनाने के लिए अन्य संस्थाओं से सहायता लेनी पड़ती है। जैसे – प्रशिक्षण, अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आदि। अतः सामान्य बच्चों की शिक्षा के साथ विशिष्ट बालकों की शिक्षा के कारण कम खर्च होता है।

लचीला वातावरण तथा आधुनिक रूचिपूर्ण पाठ्यक्रम के कारण शैक्षिक एकीकरण :–

समावेशी शिक्षा अधिक लचीली होती है और पाठ्यक्रम भी रूचिपूर्ण और आधुनिक होने के कारण शैक्षिक एकीकरण की सम्भावना अधिक रहती है। शिक्षाविद्ों का ऐसा विशस है कि विशिष्ट शिक्षा संस्था एक बालक के प्रवेश के पश्चात् समान शैक्षिक योग्यता रखने वाले अपंग बच्चें उनके गुणों को गहण करते हैं। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि विशिष्ट विद्यालयों में छात्र तथा अपंग छात्र शिक्षा के पूर्णग्राही नहीं होते। सामान्य विद्यालयों में बाधित छात्रों को प्रवेश दिलाने के कारण वह ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि लचीले वातावरण तथा आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ समावेशी शिक्षा शैक्षिक एकीकरण लाती है।

समानता के सि(ान्त का अनुपालन :–

भारतीय संविधान में शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा को व्यापक रूप देने

के लिए व सामान्य शिक्षा के लिए विस्तृत संवैधानिक व्यवस्था की गई। इस समावेशी शिक्षा के माध्यम से समानता के उद्देश्य की प्राप्ति तो होती है, साथ ही लोई भी छात्र अन्य दूसरे छात्र के सामने अपने आप तुच्छ नहीं समझता।

सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करने के सुलभ अवसर :–

समावेशी शिक्षा में बालक एक दूसरे की मदद के साथ–साथ इस प्रणाली के माध्यम से बालक एक दूसरे की योग्यताओं और गुणों को समझता है और परस्पर एक दूसरे की सराहना करने का भाव उनके अन्दर पैदा हेाता है। इस प्रकार सामान्य बालकों को विविध गुणों तथा भिन्न विशिष्टताओं शारीरिक मानसिक एवं बौ(िक बालकों के साथ पारस्परिक समायोजित व्यवहार सीखने तथा सकारात्मक अभिवृ(ि का विकास करने के समान अवसर प्राप्त है।

आधुनिक तकनीकी के प्रयेाग के समान अवसर :–

आधुनिक युग तकनीकी का युग है। इसके अभाव में अगर बच्चे पर कम्प्यूटर इन्टरनेट सेटेलाइट, चैनल आदि के बारे में बच्चे अगर ज्ञान नहीं रखते तो वे स्वयं इस अज्ञानता के कारण अपंग न होते हुए अपंग के समान है। समावेशी शिक्षा में इन साधनों के प्रयोग का प्रावधान रखा गया है जो वर्तमान समाज के परिप्रेक्ष्य मं एक मील के पत्थर के समान साबित होगा। वर्तमान युग में इन साधनों का प्रयोग करना आम बात हो गई है क्योंकि अब सौर कार्य ऑनलाईन इन्टरनेट के माध्यम से ही होते हैं।

कुछ पहल और योजनाएँ :–

इसके तरह कुछ कार्यक्रम जैसे निःशक्त ;दिव्यांगद्ध बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा और जिला उच्च माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों की भी शुरूआत की गई है जिसमें कम सफलता मिली। शिक्षा केन्द्र और राज्य सरकारों की समस्त जिम्मेदारी रही है। केन्द्र जहाँ नीतिगत कार्यक्रम और वित्तीय साधन मुहैया कराता है, वहीं राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अपनी नीतियों को आयोजित करते हैं, ढाँचा तैयार करते हैं और इसे लागू करते हैं। भारत में 1995 ई. में दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, समान अवसर, अधिकारों का

संरक्षण तथा पूर्व सहभागिता के लागू होने के साथ ही उनके अधिकार आधारित आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में पहला कदम बताया गया, जिसमें सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जब तक विकलांग बच्चा 18 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले, उसे उपयुक्त वातावरण में निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा, शिक्षा में समान अवसर को बढ़ावा देने के लिए सरकार विकलांग बच्चों के लिए सहायक उपकरणों और विशेष प्रशिक्षण सामग्रियों के विकास हेतु सार्वजनिक और गैर सरकारी एजेन्सियों को अनुसंधान के लिए प्रेरित करेगी। सरकार विशेष विद्यालयों और स्वीकृत व्यवस्थाओं दोनों में विकलांग बच्चों के शिक्षण के लिए आवश्यक जनशक्ति तैयार करने हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगी। सभी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाएँ और सरकारी सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं में विकलांगजनों अर्थात् 18 वर्ष से अधिक आयु के विकलांगजन के लिए कम से कम तीन प्रतिशत सीटें आरक्षित करेगी। विकलांग बच्चों के लिए परीक्षा प्रणाली में आवश्यकतानुसार समायोजन और पाठ्यचर्या का अनुकूलन करना चाहिए। रोजगार के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में दिव्यांगों के लिए पदों को चिन्हित करना होगा और प्रत्येक तीन वर्ष पर उसका नवीनीकरण करना होगा तथा कम से कम तीन प्रतिशत पदों को दिव्यांगों के लिए आरक्षित करने होंगे। दिव्यांग की पहचान और बचाव की सभी वचनब(ताओं को सरकार को उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा में रहते हुए ही पूरा करने की बात कही गई है। इस शर्त के साथ सरकार समावेशी विकलांगता के कारणों पर सर्वेक्षण कराएगी, विकलांगता से बचाव के लिए विभिन्न उपायों को बढ़ावा देगी, जोखिम के स्तर पर रह रहे बच्चों का वर्ष में कम से कम एक बार परीक्षण कराएगी। प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्दों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगी। माँ और बच्चे की प्रसव पूर्व, गर्भावस्था के दौरान और प्रसवोपरान्त देखभाल के लिए कदम उठाएगी। इसके लिए सरकार कुछ कार्यक्रम तैयार करेगी, जैसे दिव्यांगजन हेतु यंत्रों और उपकरणों का प्रावधान दिव्यांगजन द्वारा संचालित कारखानों, आवास, व्यापार, मनोरंजन केन्द्रों विशेष विद्यालयों और

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
IJARST
ISSN: 2457-0362

अनुसंधान केन्द्रों के लिए भूमि का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन। भारत में दिव्यांगों की बड़ी संख्या को मद्देनजर रखते हुए 14 दिसम्बर को राज्यसभा द्वारा दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2014 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस दिशा में यह दूसरा कदम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के रूप में सामने आया। इस विधेयक के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक सुगमता को अनिवार्य करना, प्रस्तावित लाभार्थी श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़ाकर 19 करना, जिनमें सेरिवलपाल्सी, हीमोफीलिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटिज्म और थैलेसीमिया को भी शामिल किया गया है। विधेयक के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक एवं निजी भवनों, अस्पतालों के साधनों मतदान केन्द्रों आदि स्थानों पर दिव्यांगों के अनुकूल सुगमता उपलब्ध कराने का भी प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। दिव्यांगों से भेदभावपूर्ण व्यवहार करने पर 6 महीने से 2 साल तक की सजा तथा 10 हजार से पाँच लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे एवं उनकी शिक्षा :—

निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा के दायरे में लाने के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है और सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है, जो निःशुल्क प्रदान की जा रही है, पर निर्धनता के कारण माता—पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, जिससे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए बुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख

कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

1. बालकों के लिए मुफ्त किताबों की व्यवस्था करना।

2. मुफ्त पोशाकें तथा छात्रावासों का प्रबन्ध करना।

3. सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे एवं उनकी शिक्षा :—

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
IJARST
ISSN: 2457-0362

औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को अलग रखा गया है। पहला जाति के आधार पर विभाजित समाज में सबसे पिछड़ा होने और दूसरे उनके भौगोलिक स्थिति तथा सांस्कृतिक अन्तरों के कारण उच्च समुदाय ने अपने हित के लिए उनका हन्न किया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों की शिक्षा के खराब स्तर के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :–

1. विद्यालय में अनुसूचित जनजाति के बालकों का प्रवेश कम होना।

2. अध्यापकों द्वारा उनके शिक्षण के प्रति खराब दृष्टिकोण।

3. बौ(िक क्षेत्र से पिछड़े होना।

4. निर्धनता।

इन वर्गों में शिक्षा के महत्व और प्रचार–प्रसार का अभाव :–

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा तथा अन्य अधिकारों से वंचित समुदायों के उथन के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किया गया, जिससे उनका समुचित विकास हो सके। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु भारतीय संविधान की धाराओं 15;4द्ध, 45 और 46 में विशेष प्रावधान दिया गया है।

निष्कर्ष

उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। 83वें संविधान संशोधन के अनुसार यही भावना विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अधिनियमों जैसे मानवाधिकार की वैश्विक उद्घोषणा 1948 और अन्तर्भूत, बाधा–मुक्त और अधिकार आधारित समाज के लिए स्थापित बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन में भी दुहराई गई है। शिक्षा पर बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारी राष्ट्रीय अवधारणा में शिक्षा अनिवार्य रूप से सबके लिए है, शिक्षा की संस्कारित भूमिका है। यह संवेदनशीलता और अवधारणाओं को परिष्कृत करती है, जिसमें राष्ट्रीय सम्भाव बनाने, वैज्ञानिक अभिरूचियाँ विकसित करने और मन, आत्मा की मुक्ति में बड़ी भूमिका है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा देना या प्रदान करना है।

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
IJARST
ISSN: 2457-0362

इस शिक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों से अर्थ : उनमें कुछ बच्चे विशिष्ट हो सकते हैं। शारीरिक विकलांग या कोई शारीरिक कमियाँ जैसे, सुनाई नहीं देना, चलने में कठिनाई, मानसिक विकलांग या लिखने पढ़ने में कठिनाई महसूस करना तथा जो अन्य बच्चों से कमजोर हो सकते हैं। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बच्चों की छुपी हुई योग्यता को उभारा जाए, यह मुख्य उद्देश्य विशिष्ट शिक्षा का है। आज केवल प्रतिभाशाली बच्चों को ही बढ़ावा ना दिया जाए बल्कि सभी प्रकार से कमजोर या पिछड़े बच्चों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर उचित ध्यान दिया जाए, ताकि वह देश की मुख्य धारा में आकर वे भी अपनी योग्यताओं का विकास करे और देश की उन्नति में योगदान कर सके। प्रतिभाशाली बच्चा जिसको सब कुछ आता हो और वह सब कुछ जल्दी–जल्दी सीखता हो। ऐसे बच्चों के लिए भी कोई अलग स्कूल नहीं होना चाहिए, तो इन सभी बच्चों को हमें एक ही स्कूल में पढ़ना होगा। शैक्षिक संस्थान को देखना चाहिए। समाज में इन सभी बच्चों को एक स्कूल में ही डालना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों पर दबाव दे रहे हो कि आप इस तरह सीखों। शिक्षा प्रणाली को बदलना चाहिए या सामंजस्य करना चाहिए कि वो विकलांग बच्चों को विशेष उपकरण दे या विशेष तरीका सोचें, उन्हें सिखाने के लिए और अलग–अलग तरीके से सिखाए और उन्हें सामान्य बच्चों से अलग नहीं समझें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अडम्स जे.डी. एण्ड मैबुसेला एम.एस. (2014) : ऐसेसिंग विद रोल प्ले : एन इनोवेशन इन एसेसमेन्ट प्रैक्टिस, जे सोशल साइन्स, 41;3), 363–374

अली, ए (2013) : ए स्टडी ऑफ सी.सी.ई. प्रैक्टिस इन गवर्मेन्ट एडेड सकूल ऑफ देहली : इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साईन्स, 2;1), 1–12

अरोड़ा, डॉ. रीता एवं मारवाह, डॉ. सुदेश (2006) : ‘‘शिक्षण व अधिगम के मनोसामाजिक आधार’’, शिक्षा प्रकाशन, जयपुर

अस्थाना, डॉ. विपिन एवं श्रीवास्तव, डॉ. विजया (2005) : ''शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी'', अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा–2

आनन्द, एच. शर्मा जी एण्ड खातुन, आर. (2013) : कम्पैरेटिव स्टडी ऑफ स्ट्रेस इन कन्टीन्यूस एण्ड कॉन्रीहैन्सी व इवैल्यूएशन सिस्टम : इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साईन्स एण्ड इन्टरडिसीप्लेनरी रिसर्च, 2;9), 90–94

अंगदी, जी.आर. एण्ड अक्की, एम.बी. (2013) : इम्पैक्ट ऑफ कन्टीन्यूस एण्ड कम्परीहेन्सिव इवेल्यूएशन एण्ड फिक्सड इन्टरवैल रीइनफोर्समेन्ट ऑफ एकेडमिक अचीवमेन्ट ऑफ सैकेण्डरी सकूल स्टूडेण्ट्स इन इंग्लिश : इन्टरनैशनल जर्नल ऑफ टीचर एजेकेशनल रिसर्च, 2;10, 6–17

एन्थोनी, पी. (2013) : इनकार्पोरेटिंग कन्टीन्यूएस एण्ड कम्परीहेनसिव इवल्यूएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज लैबोरेटरीस ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज : ए केस स्टडी, 5;1, अप्रैल 2013

अनीता, टी.एस. (2014) : ए कम्पैरेटिव स्टडी ऑन द ऑपिनियन ऑफ गवर्मेन्ट एण्ड प्राईवेट स्कूल टीचर्स ऑफ चीतुर टूवर्डस सी. सी.ईस्कॉरली जर्नल फॉर इंटरडिसीप्लीरी स्टडीस, 2;10, 1052–1072

अशिता, आर (2013) : बीयोण्ड टेस्टिंग एण्ड ग्रेडिंग : यूसिंग असेसमेन्ट टू इम्प्रूफ टीचिंग–लर्निंग, रिसर्च जर्नल ऑफ एज्यूकेशनल सांइसेज, 1;1, 2–7

अवस्थी (2014), एक्टीविटी बेस्ड लर्निंग मैथोडोलिजी कैन ब्रींग इम्प्यवमेन्ट इन क्वालिटी ऑफ एजेकेशन इन इण्डिया : गेबल जर्नल फॉर रिसर्च एनालाइसेस 3;8), 75–76

अर्जुनन, एम. एण्ड एम. बालमयगन (2013) : प्रोफेशनल कमीटमेन्ट ऑफ टीचर्स वर्किंग इन ट्रबल ऐरिया स्कूल्स, इन्टरनैशनल जर्नल ऑफ करंट रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट, Vol. 2(1), 65-74, Retrived from http//www.journalcrd.com

भटनागर एण्ड दास (2013) : एटीट्यूड ऑफ सैकेण्डरी स्कूल टीचर्स टुवर्ड्स इन्क्लूसिव एज्यूकेशन इन न्यू देहली, जर्नल ऑफ रिसर्च इन स्पैशल एज्यूकेशन नीड्स 14;4द्ध, 1471–3802, 12016

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
IJARST
ISSN: 2457-0362

बेस्ट, जे.डब्ल्यू एण्ड कॉन, जे.वी. (2003), रिसर्च इन एज्यूकेशन

भट्टाचार्य, जी.ए. एण्ड शर्मा, एन. (2010) : स्टेट्स ऑफ स्कॉलस्टिक एक्टीविटीज इन द स्कूल प्रोग्राम ऑफ द एलीमेन्टरी स्कूल्स, आसाम, इण्डिया जर्नल ऑफ ऑल इण्डिया एसोसिएशन ऑफ एज्यूकेशनल रिसर्च, 22;1द्ध, 61—65